तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/2018 रमेश v/s जगदीश	
5/11/19	आज अभी पेश हुई। बार द्वारा शोक, प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 19/11/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
19/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 26/11/19 को पेश हो।	
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3/12/19 को पेश हो।	
3/12/19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार विजय ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो करने अपील, प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए अपीलार्थी अपील को चलाना नहीं चाहता है अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील नहीं चलाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

2018/00107

अपील सं- 18/2018

13/3/18

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय

जयपुर

रमेश दत्तक पुत्र मांगीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मोहलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भूरा
2. सत्यनारायण पुत्र भूरा
3. बाबूलाल पुत्र भूरा
4. गोकुल पुत्र भूरा

   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मोहलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
5. ग्राम पंचायत राहुवास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा जरिये सरपंच
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 12.01.2018 जो अपील नंबर 1/2015 अनुवानी जगदीश प्रसाद बनाम रमेश पर पारित किया गया है।

मान्यवरजी,

संक्षिप्त वृतान्त अपील निम्नांकित प्रस्तुत हैः—

यह कि रेस्पो नंबर 1 लगा. 4 ने नामान्तकरण संख्या 5 ग्राम मोहलाई पर ग्राम पंचायत राहुवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.1971 के खिलाफ बिना इजाजत लिये बिना व मयाद बाहर लगभग 44 वर्ष बाद एक अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 15.07.2015 को स्वीकार करके रिमान्ड कर दिया था जिसके विरूद्ध श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर श्रीमान ने अपील को स्वीकार करके और रिमान्ड किया तथा रिमान्ड करके आदेश दिया कि पक्षकारान को सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त